

मूल वाद में डिफेंस

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा

(पीठसीन अधिकारी प्रशासन गांव को रंग/कैम्प कोर्ट 2021)

पीठसीन अधिकारी :- श्रीमती शकुन्तला चौधरी आर०ए००००००००

उपमान

राजकुमार

बनाम

देवतराम आदि

दाया बाबत :- 88 P.T.A.C.T

मुकदमा नम्बर :- 237/2021

निर्णय दिनांक :- 17-11-2021

वादी की ओर से वकील पुनम जय वर्मा की व प्रतिवादी सं० 1,2,3,4,5 की ओर से वकील राजकुमार कुमार की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 17-11-2021 को मुझ शकुन्तला चौधरी सहायक कलक्टर फास्ट ट्रैक भादरा के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि श्री जीजा गैरुडी के खाता सं० 173/158 के खाते सं० 166 की 6.85600, खाते सं० 57 की 3.52800 के कारणों द्वारा कुल 10.38400 के कारणों से प्रतिवादी सं० 1 देवतराम के नाम से राजस्व रिखाई में दर्ज है जो कि अकेले प्रतिवादी सं० 1 देवतराम के व्यापार वादी राजकुमार व प्रतिवादी सं० 2 रमेश कुमार, प्रतिवादी सं० 3 गैरुडी कुमार, प्रतिवादी सं० 4 मोहनलाल, प्रतिवादी सं० 5 यशानन्द, प्रतिवादी सं० 6 अनाला के कौटिल्या वरावर के खातेदार व्यापार घोषित किया जाता है यदि कृषि युक्ति वक के रखे होते तो रखे हुए होने के उपरान्त ही राजस्व रिखाई में अमल परामर्श किया जावे राजानामा को डिप्टी क्लर्क को पठा जावे

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 17-11-2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


 (शकुन्तला चौधरी)

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
 भादरा, जिला प्रहल्लमानगढ़
 सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक) भादरा
 प्र.गा. के सं अ-2021
 कैम्प 2/28/1